R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 7
जनवरी 2016

# मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

## मास्टर निदेश

विनियम जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक 1 जनवरी 2016 से बैंकों को अपने सभी अनुदेश मास्टर निदेश के रूप में जारी करेगा। मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया में प्रत्येक विषय के लिए एक मास्टर निदेश जारी करना शामिल है जिसमें उस विषय पर सभी अनुदेशों को कवर किया जाएगा। वर्ष के दौरान नियमों, विनियमनों या नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना परिपत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मास्टर निदेशों को उचित रूप से और नियमों/विनियमों में किसी प्रकार का बदलाव होने या नीति में किसी प्रकार का बदलाव होने के साथ ही अद्यतन किया जाएगा। सभी प्रकार के परिवर्तनों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर निदेशों में दर्शाया जाएगा और इसके साथ परिवर्तन होने वाली तारीख भी दर्शाई जाएगी। मास्टर निदेशों के जारी होने के बाद बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से नियमों और विनियमों के स्पष्टीकरणों को समझने में आसान भाषा में जारी किया जाएगा जहां आवश्यक होगा। विभिन्न विषयों पर जारी मौजूदा मास्टर परिपत्र उस विषय पर मास्टर निदेश के जारी होने के साथ ही वापस लिए माने जाएंगे।

## बैंकिंग पर्यवेक्षण

### रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी रजिस्ट्री की शुरुआत की

*केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री का चालू किया जाना*

रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2016 से केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) चालू किया है।बैंकों को इसके उपयोग पर परिचालनात्मक अनुदेश जारी किए हैं। केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री की स्थापना गवर्नर द्वारा अपने चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसार की गई, जिसमें यह बताया गया था कि:

''धोखाधड़ियों का जल्द पता लगाने के लिए एक तंत्र के साथ ही साथ एक केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री का सृजन किए जाने का प्रस्ताव है जिस के अंतर्गत केंद्रीकृत रूप में रखे गए खोजे जा सकने वाले केंद्रीकृत डेटाबेस का उपयोग बैंकों द्वारा किया जाएगा।''

*धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग संबंधी सीमाओं में संशोधन*

रिज़र्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (सीएफएमसी) के धोखाधड़ी रिपोर्टिंग तंत्र में कतिपय परिवर्तन किए हैं, जिन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

- ₹0.1 मिलियन और उससे अधिक, किंतु ₹50 मिलियन से कम राशी की धोखाधडियों की निगरानी रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संबंधित बैंक का प्रधान कार्यालय/बैंक का वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबंधक (एसएसएम) आता हो। ₹ 50 मिलियन और उससे अधिक राशि की धोखाधडियों की निगरानी सीएफएमसी, बेंगलुरु द्वारा की जाएगी, तथा
- ₹ 50 बिलियन और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामलों की फ्लैश रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को भेजी जानी हैं, जिनकी एक प्रति बेंगलुरु स्थित सीएफएमसी को भेजी जानी है, जबकि इसके लिए वर्तमान में ₹10 मिलियन और उससे अधिक राशि की सीमा लागू है।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं (एफआई) को सूचित किया कि वे धोखाधड़ी निगरानी विवरणियों (एफएमआर-1) की हार्ड कॉपी न भेजें।इसके बदले, उन्हें इस आशय का एक मासिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि ₹0.1 मिलियन और उससे अधिक राशि की सभी धोखाधडियों, जिनकी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को एक माह के भीतर दी जानी है, की सॉफ्ट कॉपी को dbscofrmc@rbi.org.in नामक ई-मेल पर भेज दी गई है। उस प्रमाण-पत्र में धोखाधड़ी संख्या, पार्टी का नाम, संबंधित राशि और रिज़र्व बैंक को भेजी गई सॉफ्ट प्रति की तारीख का उल्लेख होना चाहिए। यह प्रमाण-पत्र सीएफएमसी, बेंगलूरु को माह के अंत से सात दिन के भीतर भेजा जाए, जिसकी एक प्रति रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाए जिसके अधिकार-क्षेत्र में बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय/बैंक का एसएसएम आता हो। ये परिवर्तन 21 जनवरी 2016 से लागू हुए हैं। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10235&Mode=0)

## बैंकिंग विनियमन

### गैर-संघटक उधारकर्ताओं को गैर-निधि आधारित सुविधा

ऋण सूचना के संग्रहण और रखरखाव की प्रणाली को मज़बूत बनाने के संबंध में हाल में हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 7 जनवरी 2016 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके ऐसे ग्राहकों, जिन्होंने भारत में स्थित किसी बैंक से निधि आधारित सुविधा नहीं ली हो, को आंशिक ऋण वर्धन (पीसीई) सहित गैर-निधि आधारित सुविधाएं दिए जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी :

क) *बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति* -बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को गैर-निधि आधारित सुविधा स्वीकृत करने के संबंध में एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक ऋण नीति तैयार करेंगे।

ख) *ग्राहकों के प्रत्यय पत्रों का सत्यापन* -बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उधारकर्ता ने भारत में परिचालनरत किसी बैंक से कोई निधि आधारित सुविधा नहीं ली है। तथापि, गैर-निधि आधारित सुविधाएं देते समय बैंक ग्राहक से उसके द्वारा अन्य बैंकों से पूर्व में प्राप्त गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं के संबंध में वचन-पत्र प्राप्त करेगा।

ग) *ऋण मूल्यांकन और समुचित सावधानी* -बैंक निधि आधारित सुविधाओं के मामले हेतु निर्धारित मानदंडों के समान ही ऋण मूल्यांकन करेगा।

घ) केवाईसी मानकों/एएमएल मानकों/सीएफटी का अनुपालन/पीएमएलए,

## विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| **मास्टर निदेश** | 1 |
| **बैंकिंग पर्यवेक्षण** | |
| • रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी रजिस्ट्री की शुरुआत की | 1 |
| **बैंकिंग विनियमन** | |
| • गैर-संघटक उधारकर्ताओं को गैर-निधि आधारित सुविधा | 1 |
| • बैंक अब अपने एटीएम के माध्यम से कर सकते हैं नए उत्पादों की पेशकश | 2 |
| • बासेल-।।। पूंजी विनियमावली संबंधी स्पष्टीकरण | 2 |
| • आईबीयू के लिए अनुमत कार्यकलापों में संशोधन | 2 |
| • भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में संशोधन किया | 2 |
| • भारतीय स्वर्ण सिक्कों की बिक्री (आईजीसी) | 2 |
| **ऋण प्रबंध** | |
| • सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड, 2015-16 | 3 |
| • मध्यावधि ऋण प्रबंध कार्यनीति सार्वजनिक डोमेन में | 3 |
| **विदेशी मुद्रा प्रबंधन** | |
| • विदेशी मुद्रा पर व्यापक मास्टर निदेश | 3 |
| **वित्तीय समावेशन और विकास** | |
| • बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों पर दिशानिर्देश संशोधित | 3 |
| • गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप | 4 |
| • महिला एसएचजी के लिए ब्याज सबवेंशन योजना | 4 |
| **एमएसएमई उधार पर वृत्त (केस) लेखन प्रतियोगिता** | 4 |
| **भुगतान और निपटान प्रणाली** | |
| • सीटीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के चेकों को भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता नहीं | 4 |
| **सहकारी बैंकिंग** | |
| • शक संवत के अनुसार दिनांक वाले चेकों को स्वीकृत किया जाना | 4 |

*2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्व* - इस प्रकार की ऋण सुविधा के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानकों/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों/आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना (सीएफटी) के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा जो बैंकों पर लागू हों।

ङ) *सीआईसी को ऋण सूचना का प्रस्तुत किया जाना* -ऐसी सुविधा की स्वीकृति से संबंधित ऋण सूचना ऋण सूचना कंपनियों (रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत) को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ऐसी रिपोर्टिंग प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधीन होगी।

च) *एक्सपोज़र मानक* - बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक्सपोज़र मानकों का अनुपालन करेंगे।

पूर्व की भांति, गैर-संघटकों के असीमित साख पत्र (एलसी) का परक्रामण बैंकों द्वारा किए जाने पर रोक बरकरार है - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध। जिन मामलों में एलसी के अंतर्गत आहरित बिलों का परक्रामण किसी बैंक-विशेष तक सीमित है और एलसी का लाभार्थी उस बैंक का संघटक नहीं है तो बैंक ऐसे एलसी के परक्रामण का विकल्प चुन सकता है बशर्ते प्राप्य राशियां लाभार्थी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाती हों। (https:// www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10212&Mode=0)

## बैंक अब अपने एटीएम के माध्यम से कर सकते हैं नए उत्पादों की पेशकश

बैंकों को परिचालनात्मक स्वतंत्रता दिए जाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 2016 को बैंकों को अपने सभी उत्पादों व सेवाओं को एटीएम सरणी से पेश करने की अनुमति दी,बशर्ते पेश किया जाने वाला उत्पाद और सेवा प्रौद्योगिकी-साधित हो तथा इनके जरिए बैंकों/अन्य वास्तविक ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधडियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरणी में पर्याप्त जांच व्यवस्था कराई जाए। इससे पहले रिज़र्व बैंक ने ऐसी सुविधाओं पर कतिपय प्रतिबंध लगाए थे, जो बैंकों के एटीएम में ऑफ साइट माध्यम से प्रदान की जा सकती हो।(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10224&Mode=0)

## बासेल-।।। पूंजी विनियमावली संबंधी स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने संभावित भ्रम को दूर करने तथा संशोधन के आशय को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए 14 जनवरी 2016 को बासेल-।।। पूंजी विनियमावली संबंधी मास्टर परिपत्र के 'अतिरिक्त टियर-1 पूंजी में बेमीयादी कर्ज लिखतों (पीडीआई) के समावेशन से संबंधित मानदंड' भिन्न शब्दों में व्यक्त किया। इस खंड में बताया गया है कि :

''कूपनों का भुगतान वितरण-योग्य मदों में किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में कूपन का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से किया जाए। तथापि, यदि चालू वर्ष के लाभ पर्याप्त नहीं हो तो कूपन का भुगतान पर्याप्त राशि में राजस्व रिजर्व की उपलब्धता और/या लाभ और हानि खाते, यदि कोई हो, में जमा शेष के अधीन किया जा सकता है।''

तथापि, राजस्व रिजर्व में से बेमीयादी कर्ज लिखतों (पीडीआई) पर कूपनों का भुगतान इस शर्त पर किया जा सकता है कि निर्गमकर्ता बैंक द्वारा सीईटी1, टियर-1 और कुल पूंजी अनुपातों से संबंधित न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं को हमेशा पूरा करता हो और पूंजी बफर ढांचे की अपेक्षाओं की पूर्ति की जाती हो (अर्थात् पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर और देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक)।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए तथा प्रस्ताव दस्तावेज में यह उल्लेख करना चाहिए कि वे बेमीयादी कर्ज लिखतों से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए वितरण/भुगतान को रद्द करने का पूरा विवेकाधिकार सभी समय रखते हैं।

ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं।(https:// www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10221&Mode=0)

## आईबीयू के लिए अनुमत कार्यकलापों में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 07 जनवरी 2016 को आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में परिचालनरत इकाइयों तथा अनिवासी संस्थागत निवेशकों के विदेशी मुद्रा चालू खाते खोलने की अनुमति दी ताकि वे अपने निवेश लेनदेन कर सकें। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आईबीयू उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) सहित खुदरा ग्राहकों संबंधी देयताएं नहीं उठा सकती हैं। साथ ही, आईबीयू में चालू खाताधारकों को कोई चेक सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इन खातों से संबंधित सभी लेनदेन बैंक अंतरणों के माध्यम से किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, संशोधित मानदंडों के अनुसार रिज़र्व बैंक बैंकों से उठाई जाने वाली अल्पावधिक देयताओं के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं करेगा। तथापि, आईबीयू को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), जैसा कि भारतीय बैंकों के लिए स्टैंड-अलोन आधार पर लागू हो, बनाए रखना चाहिए तथा रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन के संबंध में जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। साथ ही, आईबीयू पर उस प्रकार से एनएसएफआर भी लागू होगा जैसा और जब भी भारतीय बैंकों पर लागू होता हो।

आईबीयू को उनके कारोबारी लेनदेनों में अधिक लचीलापन दिए जाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि जहां तक आईबीयू के लिए एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा का प्रश्न है वह एकल उधारकर्ता के मामले में मूल बैंक की टियर-। पूंजी का 5 प्रतिशत है और उधारकर्ता समूह के मामले में मूल बैंक की टियर-। पूंजी का 10 प्रतिशत है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10213&Mode=0)

## भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में संशोधन किया

रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2016 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना पर अपने मास्टर निदेश को संशोधित किया। ये संशोधन केंद्र सरकार के परामर्श से किए गए है जिससे कि इस योजना को अधिक ग्राहक अनुकूल बनाया जा सके। संशोधित मानदंड इस प्रकार हैं :

- जमाकर्ताओं द्वारा एक-तीन वर्ष की अवधि के लिए लघु मीयादी बैंक जमाराशि (एसटीबीडी) योजना में जमा स्वर्ण जमाराशियो पर ब्याज स्वर्ण इकाइयों में मिलेगा। इसमें पहले वाले मानदंड में बदलाव किया गया है जिसमें ग्राहकों के पास उन्मोचन के समय नकदी या स्वर्ण में अपना ब्याज संगृहीत करने का विकल्प था।
- मध्यावधि और दीर्घावधि स्वर्ण जमाराशियों के मामले में, जहां मध्यावधि जमाराशियों की पांच-सात वर्ष की अवधि है और दीर्घावधि जमाराशियों की 12-15 वर्ष की अवधि है, वहां ब्याज की गणना जमा के समय पर स्वर्ण के मूल्य के संदर्भ में रुपए में की जाएगी जबकि मूलधन को स्वर्ण में मूल्यवर्गित किया जाएगा।
- जमाकर्ता अब मध्यावधि जमाराशियों के लिए तीन वर्ष की न्यूनतम लॉक इन अवधि और दीर्घावधि जमाराशियों के मामले में पांच वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद मध्यावधि और दीर्घावधि सरकारी जमाराशियों का समयपूर्व आहरण कर सकेंगे। तथापि, समयपूर्व आहरण के लिए लिए कम ब्याज दर के रूप में दंड रहेगा जो वास्तविक अवधि पर निर्भर करेगा जिस समय तक राशि जमा रही है।
- स्वर्ण की बड़ी निविदाओं के मामले में, सोने को सीधे परिष्करणकर्ताओं को जमा कराया जा सकता है जहां भी उनके पास परखने की क्षमता हो। इससे कच्चे सोने को जमा कराने और इस पर ब्याज शुरू होने के बीच का अंतर कम हो जाएगा।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सरकार प्रतिभागी बैंकों को पहले वर्ष में कुल 2.5 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत प्रबंध प्रभार और 1 प्रतिशत कमीशन) का भुगतान करेगी।

प्रतिसूचना के आधार पर इस योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी जिससे कि कार्यान्वयन संबंधी समस्या को सुलझाया जा सके और योजना को अधिक ग्राहक अनुकूल बनाया जा सके। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10240&Mode=0)

## भारतीय स्वर्ण सिक्कों की बिक्री (आईजीसी)

रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 22 अक्टूबर 2015 पर मास्टर निदेश में यथानिर्धारित विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंकों को 21 जनवरी 2016 को अनुमति दी कि वे एमएमटीसी द्वारा ढलाई किए गए भारतीय स्वर्ण सिक्कों (आईजीसी) की बिक्री कर सकते हैं। इसके निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट बैंकों और एमएमटीसी के बीच होने वाली संविदा के अनुसार होंगी। आयातित स्वर्ण सिक्कों की बैंकों द्वारा बिक्री पर वर्तमान प्रतिबंध जारी रहेंगे जैसाकि एफईडी (एपी.डीआईआर) परिपत्र सं. 79, दिनांक 18 फरवरी 2015 में निहित है।

एमएमटीसी को केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया है कि वे अशोक चक्र के साथ भारतीय स्वर्ण सिक्कों (आईजीसी) का विनिर्माण कर इनकी घरेलू बाजार में आपूर्ति करें। एमएमटीसी ने रिज़र्व बैंक को स्पष्ट किया है कि भारतीय स्वर्ण सिक्कों के प्रयोग किया जाने वाला सोना केवल वही सोना होगा जिसे मौजूदा स्वर्ण जमा योजना (जीडीएस) और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के अंतर्गत जुटाया गया है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10238&Mode=0)

# ऋण प्रबंध

## सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड, 2015-16

भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से 14 जनवरी 2016 को घोषणा की कि सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड, 2016 (बॉन्ड्स) 18 जनवरी 2016 से 22 जनवरी

2016 तक अभिदान के लिए खोला जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), विनिर्दिष्ट डाकघर (यथा अधिसूचित) और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) को सीधे या एजेंटों के माध्यम से बॉन्डों के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। बॉन्ड जारी करने की शर्तें निम्नलिखित हैं:

*निवेश की पात्रता*- इस योजना के अंतर्गत इन बॉन्डों को व्यक्ति की क्षमता में निवासी भारतीय अथवा नाबालिग बच्चे अथवा संयुक्त रूप से किसी और व्यक्ति के साथ धारित किया जा सकता है। इन बॉन्डों को न्यास, धर्मार्थ संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा भी धारित किया जा सकता है।

*प्रतिभूति का प्रकार*-इन बॉन्डों को भारत सरकार स्टॉक के रूप में जारी किया जाएगा और निवेशकों को धारक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड डिमैट स्वरूप में परिवर्तित किए जाने के पात्र होंगे। निर्गम की तारीख 8 फरवरी 2016 होगी।

*मूल्यवर्ग* - इन बॉन्डों को 1 ग्राम की यूनिट और इसके गुणजों में मूल्यवर्गित किया जाएगा।बॉन्डों में न्यूनतम निवेश दो ग्राम का होगा जबकि अभिदान की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति प्रति राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) पांच सौ ग्राम तक होगी।

*निर्गम मूल्य* बॉन्ड- का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा।

*ब्याज*-बॉन्डों पर आरंभिक निवेश राशि पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष (निर्धारित दर) पर ब्याज मिलेगा। ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक रूप किया जाएगा और मूलधन के साथ अंतिम ब्याज परिपक्वता पर देय होगा।

*भुगतान विकल्प*-अधिकतम ₹ 20,000/- तक की राशि का भुगतान भारतीय रुपया में या मांग ड्राफ्ट या चेक (प्राप्तकर्ता कार्यालय के पक्ष में आहरित) या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। बॉन्डों में निवेश एसएलआर के लिए पात्र होगा।

*उन्मोचन*-बॉन्डों की अदायगी 8 फरवरी 2016, स्वर्ण बॉन्ड जारी करने की तारीख से आठ वर्ष पूरे होने के बाद की जाएगी। बॉन्ड जारी करने की तारीख के पांचवें वर्ष से ब्याज भुगतान तारीखों पर बॉन्ड का समयपूर्व उन्मोचन करने की अनुमति होगी। उन्मोचन मूल्य का निर्धारण इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में किया जाएगा।

*चुकौती*-प्राप्तकर्ता कार्यालय निवेशक को बॉन्ड की परिपक्वता की तारीख के बारे में सूचना इसकी परिपक्वता से एक महीना पहले देगा।

*बॉन्डों की जमानत पर ऋण*-बॉन्डों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात वैसे ही होगा जैसे सामान्य स्वर्ण ऋण पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किया जाता है। प्राधिकृत बैंकों द्वारा निक्षेपागार में बॉन्डों पर लियन चिह्नित किया जाएगा।

*कर का लेखांकन*-बॉन्डों पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर लगेगा। पूंजीगत लाभों पर कर का लेखांकन वैसे ही किया जाएगा जैसे भौतिक सोने पर होता है।

निबंधन और शर्तों में आवेदन, नामांकन, अंतरणीयता, बॉन्डों की बिक्री और वितरण के लिए कमीशन पर ब्यौरे भी शामिल हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10226&Mode=0)

## मध्यावधि ऋण प्रबंध कार्यनीति सार्वजनिक डोमेन में

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 31 दिसंबर 2015 को माध्यावधि ऋण प्रबंध कार्यनीति (एमटीडीएस) सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई। यह कार्यनीति तीन वर्ष (2015-16 से 2017-18) की अवधि के लिए बनाई गई है। कार्यनीति दस्तावेज में सरकारी उधार के उद्देश्य, जोखिम विश्लेषण और अपनाई जाने वाली कार्यनीति दी गई है। एमटीडीएस मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपीएस) के अनुरूप है। एमटीडीएस को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें घरेलू आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का ध्यान रखा गया है। एमटीडीएस को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा जिससे कि उभरती स्थितियों को दर्शाया जा सके। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35858)

# विदेशी मुद्रा प्रबंधन

## विदेशी मुद्रा पर व्यापक मास्टर निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2016 को विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों पर 17 मास्टर निदेश (पृष्ठ 1 पर बॉक्स देखें) जारी किए। मास्टर निदेशों में संगत विनियमों के दायरे के अंदर अब तक जारी किए गए आज की तारीख तक संशोधित ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र को कवर किया गया है और ये विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत अनुमत विभिन्न प्रकार के लेनदेनों को कवर करते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी मामलों पर मास्टर निदेश उन तरीकों से संबंधित हैं जिन में प्राधिकृत व्यक्ति को सीमापार/विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन कार्य करने चाहिए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35886)

- मास्टर निदेश - मुद्रा परिवर्तन गतिविधियां
- मास्टर निदेश - अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया / विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खाते खोलना और उनका रखरखाव
- मास्टर निदेश - बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों और प्राधिकृत व्यापारी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना
- मास्टर निदेश - विविध
- मास्टर निदेश - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग
- मास्टर निदेश - माल और सेवाओं का आयात
- मास्टर निदेश - माल और सेवाओं का निर्यात
- मास्टर निदेश - विदेश में संयुक्त उद्यम (जेवी) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश
- मास्टर निदेश - जमा और लेखा
- मास्टर निदेश - परिसंपत्तियों का प्रेषण
- मास्टर निदेश - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण
- मास्टर निदेश - विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में सम्पर्क / शाखा / परियोजना कार्यालयों की स्थापना
- मास्टर निदेश - बीमा
- मास्टर निदेश - अन्य विप्रेषण सुविधाएं
- मास्टर निदेश - उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस)
- मास्टर निदेश - भारत में निवासी व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच भारतीय रुपया में उधार लेने देने संबंधी लेन-देन
- मास्टर निदेश - फेमा 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कम्पाउंडिंग

# वित्तीय समावेशन और विकास

## बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों पर दिशानिर्देश संशोधित

विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए एक सरल दृष्टिकोण अपनाने और वित्तीय साक्षरता शिविरों के संचालन के दौरान विभिन्न स्टेकधारकों के बीच जमीनी स्तर पर पर्याप्त सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 2016 को अग्रणी बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं द्वारा कैंपों के संचालन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) आयोजक बैंकों/अग्रणी बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली रिपोर्टिंग तंत्र विकसित किया गया है। रिज़र्व बैंक ने आगे बैंकों को बताया कि वित्तीय साक्षरता कैंपों का आकलन/मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारियों (एलडीओ) द्वारा चालू आधार पर किया जाएगा। संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

*I. मजबूत एफएलसी संरचना - बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां*

- वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता/निदेशक जो वित्तीय साक्षरता केंद्र के प्रमुख है, वह जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता पहल करने में मुख्य स्टेकधारक है। बैंकों को वित्तीय साक्षरता कैंपों में वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं की नियुक्ति/भर्ती के तौर-तरीकों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां तत्काल शुरू करनी चाहिए।
- भौतिक बुनियादी सुविधाएं: अग्रणी बैंक कार्यालय या ग्रामीण शाखा के अंग के रूप में एफएलसी में कम से कम 10 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाला अलग से कक्ष/स्थल होना चाहिए जहां आकस्मिक ग्राहकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

- कंप्यूटर/लैपटॉप और प्रिंटर तथा फर्नीचर तथा फिक्सचर्स जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं को वाहन सहायता प्रदान की जाए।
- जिले में आमजनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रत्येक एफएलसी के पास एक समर्पित हेल्पलाइन होनी चाहिए और इस हेल्पलाइन का पर्याप्त रूप से प्रचार होना चाहिए।
- वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं का कौशल निर्माण: रिज़र्व बैंक इस वर्ष वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के साथ मिलकर कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक राज्य में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंग के रूप में प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करेंगे।
- प्रत्येक एसएलबीसी आयोजक बैंक तत्काल आधार पर अपनी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय साक्षरता केंद्रों पर डेटाबेस अद्यतित करें। इसमें एलडीएम/प्रायोजक बैंक अपने इनपुट देंगे।

*II. वित्तीय साक्षरता का आवश्यकतानुरूप दृष्टिकोण और कैंपों का संचालन*

वित्तीय साक्षरता केंद्र और ग्रामीण शाखाएं जमीनी स्तर पर विभिन्न लक्ष्य समूहों की पहचान करें तथा समान श्रोताओं के लिए कैंप आयोजित करें जिससे कि वित्तीय समावेशन पर अधिक ध्यान दिया जा सके और उसका गहन अंतरण हो सके।

आगे, वित्तीय साक्षरता केंद्र और बैंकों की ग्रामीण शाखाएं कैंप आयोजित करने पर अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में शामिल करें - (i) पीएमजेडीवाई खाता धारकों सहित वित्तीय प्रणाली में आने वाले नए व्यक्तियों के लिए विशेष कैंप, (ii) किसानों, स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी), सूक्ष्म और लघु उद्यमियों, वरिष्ठ नागरिकों, स्कूली बच्चों और अन्य (वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा चिह्नित) के लिए लक्ष्य समूह विशिष्ट कैंपों का आयोजन।

*III. संयुक्त दृष्टिकोण और वित्तीय सहायता*

वित्तीय साक्षरता केंद्रों को जिला/पंचायत/ग्राम स्तर पर यथासंभव स्टेकधारकों अर्थात नाबार्ड के एलडीएम, डीडीएम, रिज़र्व बैंक के एलडीओ, जिला और स्थानीय प्रशासन, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, एनजीओ, स्वयंसहायता समूहों, कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी), किसान क्लबों, पंचायतों, पीएसीएस, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को कैंप आयोजित करने के दौरान शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। कैंप आयोजित किए जाने से पहले पर्याप्त प्रचार कार्य किया जाना चाहिए। कैंपों को सफल बनाने के लिए पेंफलेटों के वितरण, पंचायत और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सूचना, मीडिया प्रचार पर विचार किया जाना चाहिए।

वर्तमान में, नाबार्ड विस्तृत वित्तपोषण नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है जिससे कि सभी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किए जा सकें। वित्तीय समावेशन निधि से वित्तीय साक्षरता कार्यकलापों के वित्तपोषण पर ब्यौरों के संबंध में बैंक नाबार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।

*रिपोर्टिंग व्यवस्था* - एसएलबीसी/यूटीएलबीसी प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 20 दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यलयों में तिमाही आधार पर संलग्न एक्सेल शीट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थानीय आवश्यकतानुसार उन वित्तीय साक्षरता कार्यकलाप को करने के लिए स्वतंत्र हैं जिन्हें वे आवश्यक समझें।(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10222&Mode=0

## गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप

बैंकिंग की पैठ और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर 2015को एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया कि वे अपने राज्य में 5000 से अधिक की आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक शाखारहित गांव अभिनिर्धारित करें। ऐसे अभिनिर्धारित गांव अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को शाखा खोलने हेतु आवंटित किए जाएंगे। इस रोडमैप के अंतर्गत बैंक शाखा खोलने का कार्य 31 मार्च 2017 तक पूरा किया जाना चाहिए।

विभिन्न बैंकों को आवंटित गाँवों के ब्योरे के साथ अंतिम रोडमैप में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिकतम 31 जनवरी 2016 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस रोडमैप के अंतर्गत प्रगति के मूल्यांकन हेतु डीसीसी और एसएलबीसी द्वारा तिमाही निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को चाहिए कि वे मार्च 2016 को समाप्त तिमाही से अगले माह की 15 तारीख तक शाखा खोलने में जिला-वार और बैंक-वार प्रगति का तिमाही विवरण निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें और संबंधित एसएलबीसी वेबसाइटों पर भी उसे प्रकाशित करें।

## एमएसएमई उधार पर वृत्त (केस) लेखन प्रतियोगिता

भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे, द्वारा बैंकरों के लिए एक वृत्त (केस) लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का विषय है 'केस स्टडी : एमएसएमई उधारकर्ता को नवोन्मेषी तरीके से उधार'। प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य है बैंकरों को ऐसे वृत्त-अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना जहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ताओं का नवोन्मेषी तरीके से वित्तपोषण किया गया हो और जो अन्य बैंकरों को संवेदनशील बनाने की क्षमता रखते हों।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रशिक्षण स्थापनाओं के संकाय सदस्यों सहित बैंकों के स्टाफ सदस्य, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के प्रशिक्षण स्थापनाओं के संकाय सदस्यों सहित बैंकों के स्टाफ सदस्य, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के स्टाफ सदस्य इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

प्रतियोगी विधिवत भरे हुए आवेदन-सह-घोषणा पत्र के साथ-साथ पीडीएफ प्रारूप में अंग्रेजी/हिंदी में वृत्त अध्ययन ईमेल द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2016 है।

विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ ₹20,000 (प्रथम पुरस्कार), ₹15,000 (द्वितीय पुरस्कार) और ₹10,000 (तृतीय पुरस्कार) के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता के विवरण वेबसाइट http://cab.org.in पर उपलब्ध हैं।

## महिला एसएचजी के लिए ब्याज सबवेंशन योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त महिला एसएचजी को ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन योजना पर संशोधित दिशानिर्देश 21 जनवरी 2016 को परिचालित किए। संशोधित दिशानिर्देशों में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 150 जिलों में महिला एसएचजी और संवर्ग II के जिलों (उक्त 150 जिलों के अलावा) को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना के विस्तृत ब्यौरों को शामिल किया गया है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10236&Mode=0)

# भुगतान और निपटान प्रणाली

## सीटीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के चेकों को भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता नहीं

चेकों के समाशोधन संबंधी दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन हेतु चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) का प्रारंभ किया है, जिससे उन्हें भौतिक रूप से (पी2एफ) एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे बिना ही, प्रस्तुत करना और उनका भुगतान सुविधाजनक हो गया है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, अब महालेखा नियंत्रक (सीजीए) कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ सलाह से यह निर्णय लिया गया है कि अदा किए गए केंद्र सरकार के चेकों को भौतिक रूप में (सामान्य रूप से जिसे पी2एफ के रूप में जाना जाता है) सरकारी विभागों को अग्रेषित करने की वर्तमान आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए। तदनुसार, ''प्रमाणिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संघ मंत्रालय व्यय लेखा (यूएमईए) के लेनदेनों की रिपोर्टिंग और लेखांकन के लिए संशोधित अनुदेशों के ज्ञापन( 1मई 1989 से प्रभावी)'' को संशोधित किया गया है । केंद्र सरकार और संघ शासित क्षेत्र द्वारा जारी चेकों के संबंध में संधोधित दिशानिर्देश 1 फरवरी 2016 से प्रभावी होंगे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10188&Mode=0)

# सहकारी बैंकिंग

## शक संवत के अनुसार दिनांक वाले चेकों को स्वीकृत किया जाना

रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 2016 को सभी सहकारी बैंकों को निदेश दिया कि अन्यथा क्रम में पाए जाने पर राष्ट्रीय कैलेंडर (शक संवत) के अनुसार दिनांक वहन करने वाले चेकों को भुगतान के लिए स्वीकार किया जाए और गतावधि चेकों के भुगतान से बचने के लिए राष्ट्रीय शक कैलेंडर के दिनांक के लिए समरूपी ग्रेगरियन कैलेंडर का दिनांक भी प्राप्त किया जाए। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 से लागू रूप में शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद निदेश जारी किए थे और सभी सरकारी सांविधिक आदेशों, सूचनाओं, संसद के अधिनियमों पर दोनों अर्थात शक संवत और ग्रेगरियन कैलेंडर के दिनांक लिखे जाते हैं। इसलिए हिंदी में लिखित तथा हिंदी दिनांक को वहन करने वाले चेक एक वैध लिखत है। (Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10237&Mode=0)

**अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**